वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2005

आयकर

का.आ. 1843(अ).—केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80-झ क की उप-धारा (4) के खण्ड (v) के उप-खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक भारतीय कम्पनी रत्नागिरी गैस एण्ड पावर प्राइवेट लिमिटेड (जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय, 'एन टी पी सी भवन', स्कोप काम्पलैक्स, 7, इन्स्टीट्यूशनल एरिया, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 में है) को उक्त उप-खण्ड के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित करती है।

[अधिसूचना सं. 263/2005/फा. सं. 142/45/2005-टीपीएल]

शोभन कर, अवर सचिव